



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्या:-2019/00216

दर्ज तिथि:-03.09.2019

1. गजरों पुत्री हरखाराम पत्नी गोरखाराम जाति जाट निवासी साईयों का गोलिया, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. जेठाराम पुत्र हरखाराम
2. टीकुराम पुत्र हरखाराम
जाति जाट निवासी साईयों का गोलिया तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
3. ग्राम पंचायत लोहारवा जरिये सरपंच तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता

अपीलार्थी:- श्री देवाराम चौधरी

प्रत्यर्थी:- श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-75

राज. भू-राजस्व अधिनियम-1956

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-14.01.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतः विवरण इस प्रकार से है:-

- कि हाल आराजी खसरा 345/1 रकबा 971-13 बीघा मौजा साईयों का गोलिया ग्राम पंचायत लोहारवा तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी मे बाला, लाला, हुकमा पिसराम शिवदान 1/4 हिस्सा, पुनमा, किशना, चूना, पिसराम, नरींगाराम, भीखी पत्नी नरींगा, चतरू पत्नी कुम्भाराम एवं हरखाराम के विधिक वारीसान जेठाराम, टीकुराम, पिसराम हरखाराम, दमी पत्नी हरखाराम, खेमी, गजरों, हीरों, मीरों पुत्रीयां हरखाराम के 1/2 हिस्सा, गोरखाराम पुत्र लाखाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था।



- उक्त आराजी मे दमी पत्नी हरखाराम, खेमी, हीरों, मीरों पुत्रीयां हरखाराम द्वारा दिनांक 04.05.2017 को जरिये पंजीकृत हकतर्कनामा अपना हिस्सा अपने भाई जेठाराम व टीकुराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया। परंतु गजरों पुत्री हरखाराम द्वारा हकतर्क नहीं किया गया। उक्त दिनांक 04.05.2017 के हकतर्क के नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 द्वारा उक्त आराजी में से दमी पत्नी हरखाराम, खेमी, हीरों, मीरों पुत्रीयां हरखाराम के हकतर्क के साथ साथ गजरों पुत्री हरखाराम का हिस्सा भी बिना हकतर्कनामा के जमाबंदी में से कलमजन कर दिया। इस प्रकार गजरों पुत्री हरखाराम का हिस्सा भी बिना हकतर्कनामा के उपरांत भी कानूनी हक से वंचित कर नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 को गलत रूप से फ़ैसल कर दिया।
 - कि नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 ग्राम पंचायत लोहारवा को कानूनन हक के विपरीत होने व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त करते हुए उक्त आराजी में गजरों पुत्री हरखाराम का हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील प्रत्यर्थी उपस्थित न्यायालय होकर अपील का खंडन करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया:-
- कि उक्त आराजी मे दिनांक 04.05.2017 के हकतर्क के नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 द्वारा उक्त आराजी में से दमी पत्नी हरखाराम, खेमी, हीरों, मीरों पुत्रीयां हरखाराम के हकतर्क के साथ साथ गजरों पुत्री हरखाराम का हिस्सा भी बिना हकतर्कनामा के जमाबंदी में से कलमजन कर दिया। उक्त लिपिकिय त्रुटी को दुरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी में गजरों पुत्री हरखा का हिस्सा दर्ज रिकार्ड होने के कारण अपील खारिज करने का निवेदन किया है।
3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैंने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.05.2017 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आराजी मे दमी पत्नी हरखाराम, खेमी, हीरों, मीरों पुत्रीयां हरखाराम द्वारा दिनांक 04.05.2017 को जरिये पंजीकृत हकतर्कनामा अपना हिस्सा अपने भाई जेठाराम व टीकुराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया। परंतु गजरों पुत्री हरखाराम द्वारा हकतर्क नहीं किया गया। उक्त दिनांक 04.05.2017 के हकतर्क के नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 द्वारा उक्त आराजी में से दमी पत्नी हरखाराम, खेमी, हीरों, मीरों पुत्रीयां हरखाराम के हकतर्क के साथ साथ गजरों पुत्री हरखाराम का हिस्सा भी बिना हकतर्कनामा के जमाबंदी में से कलमजन कर दिया। इस प्रकार गजरों पुत्री हरखाराम का हिस्सा भी बिना हकतर्कनामा के उपरांत भी कानूनी हक से वंचित कर नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 को गलत रूप से फ़ैसल किया गया है। इस बात को प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है। वर्तमान में उक्त आराजी में अपीलार्थी का नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत नामांतरण संख्या 92 दिनांक 20.04.2019 मौजा साईयों का गोलिया ग्राम पंचायत लोहारवा तहसील धोरीमन्ना की दिनांक-20.04.2019 की कार्यवाही निरस्त की जाती है। चूंकि अपीलार्थी का हिस्सा वर्तमान में दर्ज रिकार्ड होने के कारण किसी प्रकार के राजस्व इन्द्राज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने के कारण राजस्व इन्द्राज यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)